



भारत का राजपत्र The Gazette of India

भारतनुं राजपत्र

असाधारण
EXTRAORDINARY
असाधारण

भाग-८ खण्ड-१
PART VIII Section 1
भाग ८ विभाग-१

प्राधिकारसे प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
प्राधिकारसे प्रकाशित

नं.-१] नई दिल्ली, मंगलवार २९ मार्च, १९८८ १२ चैत्र, १९१०, (शक) [खंड-५
No.-1] NEWDELHI, TUESDAY 29 MARCH, 1988/12, CHAITRA, 1910 (SAKA) [VOL-5
अंक-१] नवी दिल्ली, मंगलवार, २९ मार्च, १९८८/१२, चैत्र, १९१० (शक) [वोल्यूम-५]

इस भागमें भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है, जिसकी यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it
may be filed as a separate compilation.

आ भागमें अलग पाना नंबर आपेव छे, जेथी ते अलग संग्रह तरीके शर्षव करी सकथे.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, २९ मार्च, १९८८/१२, चैत्र, १९१० (शक)

(१) दि इन्डियन ट्रस्ट एक्ट, १८८२ (सन १८८२ का २) (२) दि सिड्ज एक्ट, १९६६ (सन १९६६ का ५४) और (३) दि पेमेन्ट ऑफ ग्रेच्युइटी एक्ट, १९७२ (सन १९७२ का ३९) के निम्नलिखित गुजराती अनुवाद राष्ट्रपतिके प्राधिकार से प्रकाशित किये जाते हैं और प्राधिकृत अनुवाद (केन्द्रीय विधि) अधिनियम, १९७३ (सन १९७३ का ५०) की धारा २ के खंड (क) के अधीन ये गुजराती भाषा में उनके प्राधिकृत अनुवाद समझे जाएंगे।

(Price : Rs. 5-00)

